सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षे.का. दिल्ली (दक्षिण) तीसरा तल, मोरजी भवन, 4/54,
डी.बी. गुप्ता रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-05

शुद्धि पत्र

कृपया इस समाचार पत्र में दिनांक 10.05.2022 को प्रकाशित 26.05.2022 (15 दिवसीय सूचना) को नीलामी की जाने वाली अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु "मेगा-ई-नीलामी सूचना" के विज्ञापन का सन्दर्भ लें। क.सं. 2-कालकाजी, नई दिल्ली शाखा के खाता का नाम: **मैसर्स यश सर्जिकल एण्ड श्री सचिन जैन में** सम्पत्ति का विवरण गलत प्रकाशित हो गया है। सम्पत्ति का सही विवरण कृपया इस प्रकार पढ़ा जाए:- **"सम्पत्ति सं.1709 (पुराना नं.डी-336), गली नं.3 एवं 4, खसरा नं.19, गोविन्दपुरी एक्सटेंशन, कालकाजी, नई दिल्ली-110019, बेसमेंट-गली नं.4 से प्रवेश, क्षेत्रफल परिमाप 57 वर्ग गज, खसरा नं.19 में से श्रीमती पूनम जैन पत्नी श्री सचिन जैन के नाम में"** नियम एवं शर्तो सहित अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय एवं कार्य: 7वां के.एम बरवाला रोड, तलवंडी राना, हिसार-125001 (हरियाणा)
फोन नं.: 98120-20111, 98120-40111
ईमेल आईडी: arceeind@rediffmail.com,
सीआईएन: L29120HR1992PLC031681

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ, 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा मंजूरी हेतु निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 24 मई, 2022, को आयोजित की जाएगी।

कृते: **आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
हस्ता/-
(सृष्टि)
कंपनी सचिव

स्थान: हिसार (हरियाणा)
दिनांक: 11.05.2022

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

प्रथम तल, स्वास्थ्य भवन, भीनमाल रोड, जालोर

क्रमांक : अ.अ./चि.एव.स्वा/2022-23/578-86 दिनांक : 04.05.2022

ई-निविदा सूचना संख्या 05/2022-23

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों पर रू. 960.00 लाख के 2 सिविल कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डिरिंग प्रक्रिया ऑन लाईन निविदाये आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित विवरण डीआईपीआर की वैबसाईट www.dipronline.org, http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वैबसाईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता है। **NIB No. MHS2223A0390**

निविदा के कार्य	2 कार्य
निविदा की लागत	राशि रू0 960.00 लाख के 2 कार्यो
धरोहर राशि	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	50.00 लाख रुपए तक की राशि के कार्यो के लिये रू. 500.00 व 50.00 लाख रुपए अधिक राशि के कार्यो के लिये रू.1000.00
ऑनलाईन निविदा देखने/मिलने की तारीख	मंगलवार 10 मई, 2022 समय 9.00 बजे से सोमवार 30 मई, 2022 सांय 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की अंतिम तारीख	सोमवार 30 मई, 2022 सांय 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तारीख	मंगलवार 31 मई, 2022 प्रातः 11.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि	10 माह प्रत्येक कार्य की
UBN No.	MHS2223WSOB00664 to MHS2223WSOB00665

हस्ता./-
(पंकज यादव)
अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जालोर

DIPR/C/6519/ 2022

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057, फोन: 011 49267000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800, ईमेल: customer.care@herohfl.com, वेबसाइट: ww.herohousingfinance.com
सीआईएन: U65192DL2016PLC30148

कब्जा–सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमन, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिन के भीतर चुकाने के लिए नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया।**

उधारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहाँ विवरणित निम्नलिखित, सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप में जनता को उक्त संपत्ति के साथ सौदा न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नीचे दी गई राशि के साथ नीचे उल्लिखित तारीख से दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या:	बाध्यताधारी (ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) /कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम:	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा–तिथि
HHFLUCHOU 19000001816	अंकित सतीश शुक्ला और शुभांगी शुक्ला	14.07. 2021, दिनांक 12.07.2021 के अनुसार रु. 8,36,025.37/–	10.05.2022 (भौतिक)

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों/अचल संपत्तियों/गिरवी संपत्तियों का विवरण:–
प्लॉट नंबर ई–65, ब्लॉक–ई, खसरा नंबर 303 केए, आवादी–ईपुरम, ग्राम दसौली, परगना मोहना, तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ, यूपी–226021 (माप क्षेत्र 600 वर्ग फीट यानि 55.762 वर्ग मीटर). चौहद्दी : उत्तर–भूखंड संख्या ई–64, पूर्व–भूखंड संख्या ई–48, दक्षिण–भूखंड संख्या ई–66, पश्चिम–21 फीट चौड़ी सड़क।

HHFLUCLAP 19000001429	श्रीमती सुमन गुप्ता और श्री अखिलेश चंद्र गुप्ता, परफेक्ट बिजनेस	24.01.2022, दिनांक 22.01.2022 के अनुसार रु. 51,74,341/–	06.05.2022 (रचनात्मक)

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों/अचल संपत्तियों/गिरवी संपत्तियों का विवरण: ओम नगर (भिलावन), वार्ड ओम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226005 में स्थित भूमि धारक खसरा नंबर 223 और 226 पर आवासीय भूखंड/भूमि धारण संख्या–557/269 (नई संख्या–557/157) का वह सब टुकड़ा और अंश। टाइटल दस्तावेज में लिखी गई सामान्य सुविधाओं के साथ क्षेत्रफल 126.486 वर्ग मीटर । चौहद्दी :– उत्तर– श्री बब्बू सिंहकी संपत्ति, पूर्व– चंदेल साहिब की संपत्ति, दक्षिण–8 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम – अरुण रॉय और आशा रॉय की संपत्ति।

दिनांक: 12.05.2022
स्थान : लखनऊ

हस्ता/ –
अधिकृत अधिकारी,
कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

APPENDIX IV [See rule 8(1)]
POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Union Bank Of India, Laxmi Nagar, Delhi under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with **Rule 3** of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 01.03.2022 calling upon **Mr. Ranjit Srivastava (Borrower) and Mrs. Jyoti Srivastava (Co-borrower)** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 8,81,818.88 (Rupees Eight Lakh Eighty One Thousand Eight Hundred Eighteen and Paise Eighty Eight Only)** as on 01.03.2022 with further interest, expenses and other charges thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower / guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower / guarantor and public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Act rule 2002, on this the 10th day of May 2022.

The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank Of India, Laxmi Nagar, Delhi for an amount of **Rs. 8,81,818.88 (Rupees Eight Lakh Eighty One Thousand Eight Hundred Eighteen and Paise Eighty Eight Only)** as on **01.03.2022** with further interest, expenses and other charges thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of Immovable Property

1. **ALL THE PART AND PARCEL OF PROPERTY BEARING UNIT NO UGF-32, UPPER GROUND FLOOR, BLOCK-32, AREA 530 SQ FEET, SURYA HEIGHTS, CHIPIYANA BUZURG, PARGANA AND TEHSIL DADRI, DISTT GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH 201009**

Boundary of the Fiat:
ON THE EAST : FLAT NO UGF-34 ON THE WEST : FLAT NO UGF-09 ON THE NORTH : FLAT NO UGF-33 ON THE SOUTH : FLAT NO UGF-31

Date: 10.05.2022
Place: Delhi/U.P.

Authorised Officer
(UNION BANK OF INDIA)

Criminal Courts, Ludhiana

In the court of Ms. Divya sharma JMIC Ludhiana Next date : 13-06-2022
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
M/s CP Agriculture Pumps Vs AGH Altech Private Limited
CNR NO: PBLD03-033714-2019
Publication Issued To: AGH Altech private limited, situated at khasra no. 36/7/2(7-0), 13/1(6-14)& village sankhol, delhi- rohtak road, bahadurgarh, district jhajjar, haryana, through its directors 2. amarjeet kaur sehgal director of AGH Altech private limited, situated at khasra no 36/7/2(7-0), 13/1(6-14) & village sankhol, delhi- rohtak road, bahadurgarh, district jhajjar, haryana 3. gurvinderpal singh, director of AGH Altech private limited, situated at khasra no 36/7/2(7-0), 13/1(6-14) & village sankhol, delhi- rohtak road, bahadurgarh, district jhajjar, haryana

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 13-6-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice &district=Ludhiana

JMIC Ludhiana

---

pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

पंजी. कार्यालयः 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली–110001
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, # 56, साई आर्केड, 3रा तल
मराठाहल्ली रिंग रोड, देवराविसनाहल्ली, बैंग्लौर,–560103

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, यथा-संशोधित के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. (यहां के बाद "पीएनबीएचएफएल") ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी किया था। उक्त मांग सूचना नीचे वर्णित आप सभी ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारंटरों को हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जारी की गई थी क्योंकि किस्तों/ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। उसका विषय-वस्तु मूलधन, ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक है। बकाया राशि नीचे वर्णित है। पुनः कारणों के आधार पर हमारा मानना है कि आप मांग सूचना की अनदेखी कर रहे हैं, अतः उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इस मांग सूचना का प्रकाशन अपरिहार्य हो गया है। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन ब्याज एवं चार्जेज के साथ उक्त राशि का मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को भुगतान करें, अन्यथा पीएनबीएचएफएल ऋणधारकों तथा गारन्टरों की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने सहित किसी एक या अधिक प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक अथवा सभी जरूरी कार्रवाई शुरू करेगा।

आपका ध्यान वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन से पूर्व पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर सकते हैं।

पुनः उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य रूप से अंतरित करने से आप प्रतिबंधित हैं।

शाखा	ऋण खाता सं.	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम/ पता	गान्टर का नाम पता	गिरवी सम्पत्ति	मांग सूचना तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि
मराठाहल्ली	"HOU/MRH/1017/445837/, HOU/MRH/1017/445721"	श्री हिमांशु कुमार, 8/16, भावापुर, जी टीवी नगर, करेली इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश–211016, इंडिया एक्सेंचर सॉल्यूशन्स प्रा. लि. दिव्यश्री टेक्नो पार्क, व्हाइटफिल्ड, बैंग्लौर, कर्णाटका–560066, भारत # 7, 2रा तल, सुधि कुमार बिल्डिंग, सर्जापुर रोड, डोडनकनेली, बैंग्लौर, कर्णाटका–560035, भारत सुश्री मृणालिनी पंडित, # 7, 2रा तल, सुधि कुमार बिल्डिंग, सर्जापुर रोड, डोडनकनेली, बैंग्लौर, कर्णाटका–560035, भारत 8/16, भावापुर, जी टीवी नगर, करेली इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश–211016, मेरीडियम सर्विसेस एंड लैब्स प्राईवेट लिमिटेड, प्रेस्टीज, शान्तिनिकेतन, व्हाइटफिल्ड, बैंग्लौर, कर्णाटका–560066, भारत	एनए	सी–जीओ 3, जीएफ, ब्लॉक सी, बालाजी ईटरनेशनल ब्लिस, सि. नं. 131/123, नया नं. 131/3, नगोण्डरिआहल्ली गांव, केआर पुरम हुबली, बैंग्लौर कर्णाटक, भारत–560036 # सीजीओ 3, जीएफ सी ब्लॉक बालाजी ईटरनल ब्लिस, डा. अम्बेडकर नगर, नगोण्डरिआहल्ली गांव, के आर पुरम, बैंग्लौर, कर्णाटका, भारत–560067	21.03.22	21.03.2022 को रु. 7825824.57/– (रु. अठहत्तर लाख पच्चीस हजार आठ सौ चौबीस एवं पैसे सत्तावन मात्र)

तिथि: 12.05.2022, स्थान: उत्तर प्रदेश

हस्ता/– (प्राधिकृत अधिकारी) पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के लिये

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, धिमानपुरा
शामली–247776

(नियम–8(1)) आधिपत्य सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, धिमानपुरा शामली 247776 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना अर्थात्: क्यूआर/29/2021–22 दिनांकित 10.12.2021 मैसर्स शिवा ट्रेडर्स, पंजीकृत कार्यालयः दूकान संख्या 19बी, नई मण्डी शामली 247776, देशराज पुत्र मीर सिंह, मोहल्ला दयानंद नगर, शामली 247776 (स्वामी) (30.09.2021 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत) निर्गत की थी, जिसमें सूचना में अंकित राशि रु. 9,16,492.15/– और राशि पर ब्याज व अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 10.05.2022 को आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता/गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह 30.09.2021 के अनुसार रु. 9,16,492.15/– की एक राशि और समस्त लेखों के अंतर्गत राशि पर ब्याज व अन्य शुल्कों हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, धिमानपुरा शामली 247776 के प्रभाराधीन होगा।

आपका ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण:

संपत्तिः भूमि एवं भवन मापन 148.00 वर्ग मीटर जो भूखंड आईडी 164 मोहल्ला दयानंद नगर शामली में स्थित है, जो इस प्रकार परिसीमित हैः उत्तर– नरेंद्र एवं विनोद की संपत्ति, दक्षिण– कमलेश रानी की संपत्ति, पूर्व– सड़क, तथा पश्चिम– सड़क।

दिनांकः 10.05.2022, स्थानः शामली **प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०

अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण- निविदा सूचना संख्या- 02/वि0जा0पा0मं0/आगरा/2022-23

1. ई-निविदा विशिष्टीकरण संख्या-03/वि0जा0पा0मं0/आ0/2022--23:- 132 के0वी0 उपकेन्द्र एत्मादपुर आगरा पर 33 के0वी0 स्वंतत्र पोषक मैं0 आई0ओ0सी0एल0 हेतु 01 नग 33 के0वी0 'बे' के जानपदीय निर्माण कार्य, समय अवधि 01 माह, धरोहर धनराशि रू0 10000/- निविदा मूल्य रू0 590+250, अन्तिम तिथि 28.05.2021
2. ई-निविदा विशिष्टीकरण संख्या-04/वि0जा0पा0मं0/आ0/2022-23:- 132 के0वी0 उपकेन्द्र जसराना जनपद फिरोजाबाद पर 33 के0वी0 खैरगढ़ लिंक लाइन हेतु 01 नग फीडर बे के जानपदीय निर्माण कार्य, समय अवधि 02 माह, धरोहर धनराशि रू0 26,000/- निविदा मूल्य रू0 1770+250, अन्तिम तिथि 28.05.2021
3. ई-निविदा विशिष्टीकरण संख्या-05/वि0जा0पा0मं0/आ0/2022-23:- 132 के0वी0 उपकेन्द्र नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद पर प्रस्तावित 33 के0वी0 लौहरी लिंक लाइन हेतु 01 नग बे के जानपदीय निर्माण कार्य, समय अवधि 02 माह, धरोहर धनराशि रू0 12000/- निविदा मूल्य रु.1180+250, अन्तिम तिथि 28.05.2021

निविदा का विस्तृत विवरण, विस्तारीकरण शुद्धिकरण इत्यादि की सूचना ई-टेण्डर की बेवसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है, जिसको वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक खाता अधिशासी अभियन्ता (जानपद) आगरा A/C No 30065294923, IFSC Code- SBIN0005717 Payble at S.B.I Foundry Nagar (Agra)

हस्ता./-
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक: 294/वि.जा.पा.मं.आ./दिनांक: 11.05.2022

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्द्वारा ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई राशि का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। ऋणधारकों, मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण इस प्रकार हैः

ऋणधारकों/गारन्टरों का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूति परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
श्री संतोष कुमार वर्मा, संगीता वर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं. 727391)	9.5.2022 एवं रु. 3066219/- (रु. तीस लाख छियासठ हजार दो सौ उन्नीस मात्र)	**सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः** निर्मित ऊपरी भू तल (फ्रान्ट साईड) लेफ्ट पोर्शन, छत के अधिकार के बिना, आनुपातिक एरिया माप 66.70 वर्ग यार्ड्स, सम्पत्ति प्लॉट नं. बी-24, ग्राम मटियाला, दिल्ली राज्य दिल्ली में सेवक पार्क, ब्लॉक-बी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित, कॉमन आनुपातिक अधिकार तथा सुविधाओं के साथ भू तल पर सामूहिक एक कार पार्किंग के साथ।
श्री राजेश खंडेलवाल, श्रीमती अनीता खंडेलवाल (प्रॉस्पेक्ट नं. 730307)	9.5.2022 एवं रु. 43,79,691/- (रु. तैंतालिस लाख उन्यासी हजार छः सौ इक्यानवे मात्र)	**सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः** आवासीय मकान सं. सी-31, एरिया माप 162 वर्ग यार्ड्स, श्री नाथ पुरम, प्रतीक एन्क्लेव, कमला नगर, आगरा
श्री अमित आहूजा, श्याम प्रिन्ट हाउस, श्रीमती सुमन आहूजा, श्री योगेश आहूजा (प्रॉस्पेक्ट नं. 733780, 733845, 806977, 807053, 922252, 952131)	9.5.2022 एवं प्रॉस्पेक्ट नं. 733780, रु. 2064989/- (रु. बीस लाख चौंसठ हजार नौ सौ नवासी मात्र) तथा प्रॉस्पेक्ट नं. 733845 द्वारा रु. 2066593/- (रु. बीस लाख छियासठ हजार पाँच सौ तिड़ानवे मात्र) तथा प्रॉस्पेक्ट नं. 806977 द्वारा रु. 3,64,214/- (रु. तीन लाख चौंसठ हजार दो सौ चौदह मात्र) तथा प्रॉस्पेक्ट नं. 807053 द्वारा रु. 362942/- (रु. तीन लाख बासठ हजार नौ सौ बयालिस मात्र) तथा प्रॉपस्पेक्ट 922252 द्वारा रु. 130925/- (रु. एक लाख तीस हजार नौ सौ पच्चीस मात्र)तथा प्रॉपस्पेक्ट नं. 95281 द्वारा रु. 8,45,463/- (रु. आठ लाख पैंतालिस हजार चार सौ तिड़ेसठ मात्र)	**सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः** 1) निमित सम्पत्ति, पॉकेट-05, सेक्टर-22, रोहिणी, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली भारत-110085 में सम्पत्ति सं. 135, एरिया माप 60 वर्ग मी., फ्री होल्ड सम्पूर्ण भू तल, छत के अधिकार के बिना 2) पॉकेट-05, सेक्टर-22, रोहिणी, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली भारत-110085 में सम्पत्ति सं. 136, भूमि एरिया माप 60 वर्ग मी., सम्पूर्ण अर्ध-निर्मित सम्पत्ति, छत के अधिकार के साथ।
श्री अंकित शर्मा, श्री मनीश शर्मा, श्रीमती सुषमा देवी (प्रॉस्पेक्ट नं. 738578)	9.5.2022 एवं रु. 4788720/- (रु. सैंतालिस लाख अठासी हजार सात सौ बीस मात्र)	**सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः** यूनिट नं. आर025डी101405/ फ्लैट-1405, माप 1850 वर्ग फीट, ब्लॉक डी, 14वां तल, ईको बिलेज-3, जीएच-06, सेक. 16बी, ग्रेटर नोएडा-201303, नोएडा 2, 201301, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारत
श्री नितिन पवार, श्रीमती तमन्ना (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10131711)	6.5.2022 एवं रु. 2079787/- (रु. बीस लाख उन्यासी हजार सात सौ सतासी मात्र)	**सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः** एच.नं. एसके-1/238ए, माप 28.90 वर्ग मी., 1ला तल, एलआईजी-2, शक्ति खंड-1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201014

यदि उक्त ऋणधारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल ऋणधारकों की जोखिमों एवं लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपया **शाखा कार्यालयः** प्लॉट नं. 30/30ई, ऊपरी भूतल, मैन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शो रूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली में प्राधिकृत अधिकारी एवं अथवा **कॉर्पोरेट कार्यालयः** आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें।

स्थान : दिल्ली तिथि: 12.05.2022

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सर्कल शस्त्र कार्यालयः अलीगढ़
कार्यालयः साई विहार, मदन पैलेस के सामने,
ग्राम तलसपुर कलां, रामघाट रोड,
अलीगढ़, 202001 ईमेलः cs8183@pnb.co.in

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को 60 दिनों का नोटिस

आप सभी नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ने आप में से प्रत्येक के खिलाफ सरफेसी अधिनियम और अधिनियम की नोटिस 13 (2) के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है और आप में से प्रत्येक को अलग–अलग स्पीड पोस्ट नीचे उल्लिखित दिनांक को भेजी गई है लेकिन नोटिस बिना सेवित वापस कर दिया गया था। अतः इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आप में से प्रत्येक को संयुक्त रूप से और अलग–अलग रूप से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस का संज्ञान लेने के लिए कहा जाता है, जिसके विफल होने पर बैंक नीचे दी गई संपत्तियों के खिलाफ इस प्रकाशन के तारीख से 60 दिनों के भीतर कार्रवाई प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इसमें विफल होने पर बैंक उक्त अधिनियम के तहत धारा 13(4) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह नोटिस बैंक को उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपको संबोधित किया गया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं एवं गारंटरों और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्ति का लेन–देन न करें और इन संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन निम्न राशि और उस पर ब्याज पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार के अधीन होगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना ऊपर निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति संपत्ति की बिक्री, पट्टे के द्वारा या अन्यथा (व्यापार के सामान्य करवाई के अलावा)को हस्तांतरित नहीं करेंगे। आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाज्ञाध्संयम का कोई भी उल्लंघन, जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, एक अपराध है। यदि किसी कारण से, व्यवसाय के सामान्य क्रम में सुरक्षित संपत्ति बेची जाती है या पट्टे पर दी जाती है, तो बिक्री की आय या प्राप्त आय को बैंक के पास जमाध्रेषित करना होगा। आप ऐसी वसूलीध्आय का उचित लेखा–जोखा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कृपया इस नोटिस के तहत इस मांग का पालन करें और सभी अप्रिय घटनाओं से बचें। इसकी गैर–अनुपालन की स्थिति में, आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, आगे की आवश्यक कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा।

क्रं सं	शाखा कार्यालय	1. खाता संख्या, 2. सुविधा की प्रकृति और राशि, 3.मांग नोटिस की तिथि 4.बकाया राशि (रु.)	उधारकर्ताओं ध् गारंटरों का नाम और पता	प्रतिभूति सम्पत्तियों का विवरण
1.	रामघाट सड़क अलीगढ़	1. 656300NC00000421 2. सावधि ऋण (एच/एल) रु.29,50,000 3. 26.04.2022 4.रु 31,99,366.32/- + 01.04.2022 से प्रभावी ब्याज + व्यय	1. संजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार अग्रवाल (उधारकर्ता) निवासी–992 बी, परम शक्ति मंदिर के पास, बैंक कॉलोनी, प्रीमियर नगर, अलीगढ़– 202001 निवास–फ्लैट नंबर 309, ब्लॉक–ए, तीसरी मंजिल, कनक रेजीडेंसी, किशनपुर, महाराणा प्रताप गेट के पास, तहसील–कोइल, अलीगढ़ निवास–9ध्23, कांवरीगंज,फरश, डॉ. एस.के.जैन के पास, कोइल,अलीगढ़ 2. अमन कुमार अग्रवाल पुत्र संजय कुमार अग्रवाल(सह–उधारकर्ता) निवास–992 बी, परम शक्ति मंदिर के पास, बैंक कॉलोनी,प्रीमियर नगर, अलीगढ़–202001 निवास–फ्लैट नंबर 309, ब्लॉक–ए, तीसरी मंजिल, कनक रेजीडेंसी, किशनपुर, महाराणा प्रताप गेट के पास, तहसील–कोइल, अलीगढ़	संजय कुमार अग्रवाल और अमन अग्रवाल के नाम पर कनक रेजीडेंसी,राजस्व ग्राम किशनपुर, परगना और तहसील कोइल, अलीगढ़ में स्थित खसरा नं. 365 अमिन और 333/2 के सभी भाग आवासीय फ्लैट संख्या 309, ब्लॉक–ए, तृतीय तल का सभी भाग और अंश। मापक्षेत्र 111.2 वर्गमीटर। निम्नानुसार (शीर्षक विलेख के अनुसार) घिरा हुआ है – पूर्व– सामान्य मार्ग, पश्चिम– फ्लैट नं. 310 उत्तर– सामान्य मार्ग , दक्षिण– साइड सेट बैक

दिनांकः 10.05.2022 स्थानः अलीगढ़

भवदीय, अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, धिमानपुरा
शामली–247776

(नियम–8(1)) आधिपत्य सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, धिमानपुरा शामली 247776 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना अर्थात्: क्यूआर/24/2021–22 दिनांकित 10.12.2021 मैसर्स श्री वासु इंटरप्राइजेज, पंजीकृत कार्यालयः कुसुमलता पत्नी रवींद्र कुमार गर्ग औद्योगिक संपदा कैराना मार्ग, शामली शामली 247776, कुसुमलता पत्नी रवींद्र कुमार द्वारा रवि मिल स्टोर, वी वी इंटर कॉलेज मार्ग के सम्मुख, शामली 247776 (स्वामी), रवींद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय खजान सिंह द्वारा रवि मिल स्टोर, वी वी इंटर कॉलेज के सम्मुख, शामली 247776 (गारंटर) (02.03.2021 एवं 31.03.2021 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत) निर्गत की थी, जिसमें सूचना में अंकित राशि रु. 17,26,936.03 और राशि पर ब्याज व अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 10.05.2022 को आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता/गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह 31.03.2021 के अनुसार रु. 17,26,936.03 की एक राशि और समस्त लेखों के अंतर्गत राशि पर ब्याज व अन्य शुल्कों हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, धिमानपुरा शामली 247776 के प्रभाराधीन होगा।

आपका ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण:

संपत्तिः भूमि एवं भवन मापन 53.50 वर्ग मीटर जो भूखंड आईडी 6175 मोहल्ला धिमानपुरा शामली में स्थित है, जो इस प्रकार परिसीमित हैः उत्तर– श्री पूरण चंद पुत्र श्री रघुवीर के उत्तराधिकारीगण, दक्षिण– श्रीमती विद्यावती पत्नी स्वर्गीय जगदीश शंकर की संपत्ति, पूर्व– गलियारे का भाग और कुसुमलता की संपत्ति, तथा पश्चिम– श्रीमती विद्यावती पत्नी स्वर्गीय जगदीश शंकर की संपत्ति।

दिनांकः 10.05.2022, स्थानः शामली **प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400051
शाखा कार्यालयः 7वां तल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदातता के पास बंधककृत/प्रभारित रखी गई निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका आधिपत्य कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एसेल फाइनेंस बिजनेस लोन लिमिटेड (यहां इसमें इसके उपरांत एसेल संबोधित) द्वारा अपने पक्ष में ऋण के एसाइनमेंट के अनुसार, 24.07.2020 को ग्रहण कर लिया गया है, उसे अब 01.06.2022 को दोपहर 12:00 बजे से अपराहन 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर बेचा जाएगा। यह विक्रय जो होगा वह श्री दीप कुमार एवं श्रीमती जशोदा की ओर से कोटक महिंद्रा बैंक लि., प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय, ऋण खाता संख्या LNDEL06716–170000839 के तहत दिनांक 10.05.2022 के अनुसार रु. 13,26,815/– (रुपए तेरह लाख छब्बीस हजार आठ सौ पंद्रह मात्र) की एक राशि और इस राशि पर वसूलीकरण होने तक लागूयोग्य भावी ब्याज की वसूली करने के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. 7,00,000/– (रुपए सात लाख मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा रु. 70,000/– (रुपए सत्तर हजार मात्र) होगी और केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 31–5–2022 को सायं 6:00 बजे (आईएसटी) तक होगी।

संपत्ति विवरणः– आवासीय भूखंड सं. 146 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो खसरा सं. 2238 में से हैं, जिनका क्षेत्रमाप 50 वर्ग गज अर्थात् 41.8 वर्ग मीटर है, और जो शिव वाटिका, दादरी, परगना एवं तहसील–दादरी, जनपद–गौतम बुद्ध नगर में स्थित हैं।

और संपत्ति इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– 12 फुट चौड़ी कच्ची सड़क, पश्चिम– विक्रेता का भूखंड, उत्तर– अन्य का भूखंड, दक्षिण– श्रीमती मेसो देवी का भूखंड।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं।

बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता श्री राजेंद्र दहिया (91 8448264515), श्री सोमेश सुंद्रियाल (91 9910563402), श्री अरविंद कुमार तिवावरी (91 9810698044), श्री विवेक कनौजिया (91 9205177091) और श्री अक्षित सोलंकी (91 7302111608) से संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात WWW.KOTAK.COM तथा/अथवा HTTPS://BANKAUCTIONS.IN पर उपलब्ध लिंक HTTPS://WWW.KOTAK.COM/EN/BANK-AUCTIONS.HTML देखें।

दिनांकः 12.05.2022

कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः दानी कॉरपोरेट पार्क, 5वां तल, 158, सी.एस.टी रोड, कलीना, सांताक्रूज (पूर्व),
मुंबई –400098, दूरभाषः 022–6741 2314, फैक्सः 022–6741 2313
सीआईएनः U67190MH2007PTC168303, ईमेलः info@phoenixarc.co.in, वेबसाइटः www.phoenixarc.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदातता के पास बंधककृत/प्रभारित रखी गई निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक आधिपत्य फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 20–6 स्कीम सी के एक ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) (फीनिक्स) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, एसबीएफसी द्वारा अपने पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार 26.11.2021 को ग्रहण कर लिया गया है, उसे अब 01.06.2022 को दोपहर 12:00 बजे से अपराहन 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर बेचा जाएगा। यह विक्रय जो होगा वह श्री अतुल जैन एवं श्रीमती पूजा जैन की ओर से पीएआरसी, प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय, ऋण खाता संख्या पीआर00423202 के तहत दिनांक 10.05.2022 के अनुसार रु. 42,34,046/– (रुपए बयालिस लाख चौंतिस हजार छियालिस मात्र) की एक राशि और इस राशि पर 11.05.2022 से भावी ब्याज और पूर्ण भुगतान होने तक आनेवाली समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों की वसूली करने के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. 26,50,000/– (रुपए छब्बीस लाख पचास हजार मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा रु. 2,65,000/– (रुपए दो लाख पैंसठ हजार मात्र) होगी और केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 31–5–2022 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) तक होगी।

संपत्ति विवरणः– संपूर्ण द्वितीय तल तथा संपूर्ण तृतीय तल के समस्त वह भाग तथा अंश जो छताधिकार के साथ हैं जो संपत्ति एमपीएल नं. XIV/4036(OLD NO.) XIV/4203 TO 4205 (NEW NO.) का भाग हैं, जिनका मापन 55 वर्ग गज है, जो गली बरना सदर बाजार, दिल्ली–110006 में स्थित हैं, और इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– गली, पश्चिम– अन्य संपत्ति 4195, उत्तर– संपत्ति सं. 4206, दक्षिण– संपत्ति सं. 4202

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता श्री राजेंद्र दहिया (+91 8448264515), श्री सोमेश सुंद्रियाल (+91 9910563402), श्री प्रशांत गौतम (+91 9643615436), श्री विवेक कनौजिया (+91 9205177091) और श्री अक्षित सोलंकी (+91 7302111608) से संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात् WWW.PHOENIXARC.CO.IN तथा/अथवा HTTPS://BANKAUCTIONS.IN पर उपलब्ध लिंक NK https://phoenixarc.co.in?p=1873&preview=true देखें।

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 12.05.2022

प्राधिकृत अधिकारी
फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड
(फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 20–06 स्कीम के एक ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

शस्त्र केंद्र दक्षिण दिल्ली, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110008, दूरभाष–011–47519273, ई–मेलः cs8320@pnb.co.in

कब्जा नोटिस (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13 (4) के तहत) (अचल संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत **पंजाब नेशनल बैंक, शाखा : सर्कल सस्त्र केंद्रः** दक्षिण दिल्ली भीकाजी कामा प्लेस के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 12.04.2021 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/बंधक मैसर्स ईशान नेटवर्क, कार्यालय–आर–57, खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017, श्री मणिक अग्निहोत्री, निवासी–फ्लैट नंबर 405, सोम विहार अपार्टमेंट, आरके पुरम, नई दिल्ली110057, श्रीमती अंजना अग्निहोत्री,अग्निहोत्री अस्पताल , ओल्ड कोर्ट रोड, मंडी डबवाली, सिरसा, हरियाणा–125104, श्री निखिल अग्निहोत्री, अग्निहोत्री अस्पताल, ओल्ड कोर्ट रोड, मंडी डबवाली, सिरसा, हरियाणा–125104, श्री आरएस अग्निहोत्री, अग्निहोत्री अस्पताल, ओल्ड कोर्ट रोड, मंडी डबवाली, सिरसा, हरियाणा–125104 और श्रीमती माया देवी निवासी–एम नंबर 380, वार्ड नंबर 6, तहसील कॉम्प्लेक्स, चौटाला रोड, मनाडी डबवाली, सिरसा, हरियाणा 125104 को नोटिस में उल्लिखित राशि रुपये 8,69,64,782.19 (रुपये आठ करोड़ उनहत्तर लाख चौंसठ हजार सात सौ बयासी और उन्नीस पैसे मात्र) नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से उक्त राशि का पुनर्भुगतान करने को कहा गया है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधक द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता/गारंटर/बंधक और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 7 मई 2022 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधक और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन पंजाब नेशनल बैंक को दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ **रुपये 8,69,64,782.19 (रुपये आठ करोड़ उनहत्तर लाख चौंसठ हजार सात सौ बयासी और उन्नीस पैसे मात्र)** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता/गारंटर/बंधकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

1. मणिक अग्निहोत्री के नाम पर प्लॉट नंबर 3 का आधा हिस्सा, आर्य समाज रोड के पास, मंडी डबवाली, सिरसा, हरियाणा , 50'X 11¾' = 587.50 वर्ग फीट
2. आरएस अग्निहोत्री के नाम पर प्लॉट नंबर 4,आर्य समाज रोड के पास, मंडी डबवाली, सिरसा, हरियाणा , 50'X 23 1/2' = 1175 वर्ग फीट
3. अंजना अग्निहोत्री के नाम पर प्लॉट नंबर 5, आर्य समाज रोड के पास, मंडी डबवाली, सिरसा, हरियाणा में 50'X 23 1/2' = 1175 वर्ग फीट
4. निखिल अग्निहोत्री के नाम पर प्लॉट नंबर 45, हुडा, मंडी डबवाली, सिरसा, हरियाणा में 258.33 वर्ग गज
5. मणिक अग्निहोत्री के नाम पर प्लॉट नंबर 47पी, टेलीफोन एक्सचेंज के पास,मंडी डबवाली, सिरसा, हरियाणा में 372.33 वर्ग गज

दिनांकः 07.05.2022, स्थानः नई दिल्ली

अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

केनरा बैंक Canra Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

कब्जा सूचना
अचल सम्पत्ति के लिए, धारा13(4) के तहत

जैसा कि प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद-13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन-देन केनरा बैंक, संबंधित शाखाओं को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	नोटिस तिथि	बकाया राशि
1.	शाखाः एस.एस.वी. कॉलेज (18843) ऋणीः 1. श्री मुकेश कुमार पुत्र फूल सिंह, 551, हड्डीपुरा नगर कोलोनी, हापुड़, 2. श्री संत राम सिंह पुत्र राम स्वरूप, 548, हड्डीपुरा नगर कोलोनी, हापुड़। हाऊसिंग ऋण खाता सं.: 88437220004278	अचल सम्पत्ति प्लॉट की भूमि जिसकी माप 98.00 वर्ग यार्डस, चामड़ी में स्थित, मुंसिपिल लिमिट, मोहल्ला हड्डीपुरा नगर कॉलोनी, हापुड़, चौहद्दीः पूर्वः जय प्रकाश का प्लॉट, पश्चिमः सुशील का प्लॉट, उत्तरः कब्रिस्तान की भूमि, दक्षिणः 6 फिट चौड़ा रास्ता।	मांग नोटिस की तिथि 03.12.2021 कब्जा लेने की तिथि 09.05.2022	रू. 2,77,466.57 + ब्याज एवं अन्य व्यय।
2.	शाखाः एस.एस.वी. कॉलेज (18843) ऋणीः मो. सलीम पुत्र श्री मुंशी खान, मकान नं. 1431, रफिक नगर, हापुड़, हापुड़ 245101. जमानतकर्ताः श्री गंगा राम त्यागी पुत्र रघवेन्द्र त्यागी, त्यागी बुक डिपो, एस.एस.वी. इण्टर कॉलिज के सामने, हापुड़ 245101. हाऊसिंग ऋण खाता सं.: 88437740000104	अचल सम्पत्ति आवासीय मकान कन्स्ट्रक्टेड प्लॉट नं 2 और 3 जिसकी माप 286.22 वर्ग यार्डस, खसरा नं. 576 का भाग, मकान नं. 12-6/2641, मोहल्ला रफिक नगर हापुड़ में स्थित, मालिक मो. सलीम पुत्र श्री मुंशी खान, चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 4, भुजा 56 फिट, पश्चिमः प्लॉट नं. 1, भुजा 56 फिट, उत्तरः खेत रफिक, भुजा 46 फिट, दक्षिणः 15 फिट चौड़ा रास्ता, भुजा 46 फिट।	मांग नोटिस की तिथि 23.02.2022 कब्जा लेने की तिथि 09.05.2022	रू. 1,24,306.75 + ब्याज एवं अन्य व्यय।
3.	शाखाः एस.एस.वी. कॉलेज (18843) ऋणीः 1. श्री छज्जू सिंह पुत्र श्री खुशी राम, 2265, अतरपुर रेलवे रोड, हापुड़, 2. श्री विपिन कुमार पुत्र श्री नरेश, मकान नं. 892, कोठी गेट, हापुड़। हाऊसिंग ऋण खाता सं.: 88437740000231	सम्पत्ति यूआईएम का आवासीय मकान, बीयरिंग 2265 जिसकी माप 36.66 वर्ग यार्डस, मोहल्ला अतरपुर, हापुड़ में स्थित, मालिक श्री छज्जू सिंह पुत्र श्री खुशी राम, चौहद्दीः पूर्वः अन्य मकान, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः अन्य मकान।	मांग नोटिस की तिथि 03.12.2021 कब्जा लेने की तिथि 09.05.2022	रू. 6,72,586.57 + ब्याज एवं अन्य व्यय।
4.	शाखाः असौड़ा (18763) ऋणीः श्री अखलाक पुत्र साबिर, 1009, कोटला, मेवातियान, हापुड़, उ.प्र. 245101. सह-ऋणीः श्रीमती रिहाना पत्नी अखलाक, 1009, कोटला, मेवातियान, हापुड़, उ.प्र. 245101. जमानतकर्ताः मो. अयान पुत्र साबिर अली, 1008, कोटला, मेवातियान, हापुड़, उ.प्र. 245101.	अचल सम्पत्ति का वह सब हिस्सा और पार्सल, हाउस, निर्माण और सुपर स्ट्रैक्चर के साथ-साथ या वर्तमान में या भविष्य में प्लॉट भूमि जिसकी माप 270 वर्ग यार्डस, खसरा नं. 1260, गांव हापुड़, जिला हापुड़, मालिक श्री अखलाक पुत्र साबिर, तहसील और जिला हापुड़ में पंजीकृत, चौहद्दीः पूर्वः इस्लाम का प्लॉट, भुजा 53 फिट, पश्चिमः जंगी खान का प्लॉट, भुजा 53 फिट, उत्तरः रास्ता 15 फिट चौड़ा भुजा 45.84 फिट, दक्षिणः माया कोल्ड स्टोरेज, भुजा 45.84 फिट।	मांग नोटिस की तिथि 10.01.2022 कब्जा लेने की तिथि 09.05.2022	रू. 18,25,079.71 + ब्याज एवं अन्य व्यय।

क्षेत्रीय कार्यालयः हापुड़। प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक।